## महालेखाकार (ले. प. I) का कार्यालय, केरल, तिरुवनंतपुरम – 695 001



## Office of the Accountant General (Audit I) Kerala Thiruvananthapuram-695 001

No.Au/Admn.VI/8-16/Vol.VI

Date: 04.02.2025

## परिपत्र सं./CIRCULAR No. 74

उल्गृष्ट सेवा रिकार्ड रखने वाले एवं प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा का कार्यालय, लंदन, प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा का कार्यालय, वाशंगटन और प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा का कार्यालय, काला लम्पूर में तैनात करने हेतु पैनल में शामिल होने में इकच्छुक वरि. ले प. अ. /सहा. ले प. अ. (वाणिज्यिक संवर्ग शामिल) और वरि. निजी सचिव/ निजी सहायक अपने आवेदन निर्धारित प्रारूप में (चार प्रतियों में) प्रशासनिक अनुभाग को 06.02.2025 तक या उस से पहले अपने संबंधित प्रशासन के माध्यम से प्रस्तुत करें। निर्धारित दिशा-निर्देश/मापदंड निम्नोक्त है:

Sr.AOs/AAOs (Including Commercial Cadre) and Sr.PSs/PAs having excellent Service records and who are desirous for empanelment for posting to O/o the Director General of Audit, London, O/o the Principal Director of Audit, Washington and O/o the Principal Director of Audit, Kaula Lumpur may submit their application (in quadruplicate) in the prescribed Proforma, to the Administration Section on or before 06.02.2025 routed through their concerned Administrations. Guidelines/criteria prescribed are given below:

- अधिकारी के पास पिछले दस वर्षों में से कम से कम 7 पूर्ण वर्षों के एपीएआर उत्कृष्ट होने चाहिए। निजी सहायकों के मामले में, पिछले दस वर्षों में से कम से कम 4 एपीएआर उत्कृष्ट होने चाहिए। The official must have at least 7 full years' outstanding APARs in the last ten years. In the case of PAs, must have at least 4 outstanding APARs in the last ten years.
- 01.01.2025 तक वरि. ले प. अ. की कम से कम तीन वर्षों की सेवा और सहा. ले पे. अ./ वरि. निजी सचिव/ निजी सहायक के संदर्भ में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण होनी चाहिए। Sr.AOs should have completed at least three years of service and five years of service in case of AAOs/Sr.PSs/PAs as on 01.01.2025.
- विर. ले प अ ,सहा. ले पे अ और निजी सहायकों के मामले में नामित अधिकारियों की आयु 01.01.2025 तक क्रमशः 53 वर्ष, 51 वर्ष और 54 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। जिन अधिकारियों ने पहले कम से कम 2 वर्षों तक मुख्यालय में सेवा दी है, उनके मामले में आयु सीमा में एक वर्ष की छूट दी जाएगी, अर्थात विर. ले प. अ. (54 वर्ष), सहा. ले पे अ (52 वर्ष) और निजी सहायक (55 वर्ष)। Nominated officials in the case of Sr.AOs, AAOs and PAs should not be over 53yrs, 51yrs and 54 yrs. respectively as on 01.01.2025. In the case of officials who have earlier served in Headquarters for at least 2 years, the age limit will be relaxed by one year, i.e. Sr. AOs (54yrs), AAOs (52yrs) and PAs (55 yrs).
- विदेश में तैनात विरष्ठ निजी सचिवों/निजी सहायकों को छोड़कर अन्य सभी अधिकारियों को विदेश में तैनाती से लौटने पर तीन वर्ष तक नई दिल्ली स्थित मुख्यालय कार्यालय में सेवा देनी होगी । इस शर्त से कोई छूट नहीं दी जाएगी।

The officers except Sr.PSs/PAs posted abroad are required to serve the HQ Office at New Delhi for three years on return from foreign posting. No exemption from this condition will be granted.

- जो अधिकारी भा. ले प. & ले. वि. से बाहर प्रतिनियुक्ति पर थे, उन्हें 01.01.2025 तक अनिवार्य रूप से विभाग में तीन वर्षों की कूलिंग-ऑफ अविध पूरी करनी होगी।

  The officers who had been on deputation outside IA&AD, must have completed a compulsory cooling-off period of 3 years in the department as on 01.01.2025.
- विर. ले प. अ. /सहा. ले प. अ. को लेखापरीक्षा में पर्याप्त अनुभव होना चाहिए और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों में दक्षता होनी चाहिए, विशेष रूप से एमएस ऑफिस में आवश्य होनी चाहिए। Sr.AOs/AAOs should have adequate experience in auditing and must have proficiency in computer software applications, particularly MS Office is a must.
- नामित अधिकारियों और उनके आश्रितों में दूसरों के साथ मिलजुलकर रहने तथा व्यक्तिगत और आधिकारिक जीवन में गरिमा और शिष्टाचार बनाए रखने की क्षमता होनी चाहिए।

  Nominated officers and their dependents should possess an ability to get along with others and to maintain dignity and decorum in personal and official life.
- नामित अधिकारी और उनका परिवार रूढ़िवादी आदतों से बंधे हुए नहीं होने चाहिए। The officers nominated and his/her family should not be bound by orthodox habits.
- अधिकारी और उनका परिवार समझदार होना चाहिए और देश के अच्छे प्रतिनिधि होने चाहिए ।
   The officers and their family should be smart and should be good representatives of the country.
- अधिकारी की घरेलू प्रतिबद्धताएं ऐसी नहीं होनी चाहिए जो विदेश में उनके आधिकारिक कर्तव्यों के प्रभावी निष्पादन में बाधा उत्पन्न करें।
  The officers' commitments at home should not be such as would hamper their effective performance of their official duties abroad.
- अनुशंसित अधिकारियों का परिवार छोटा होना चाहिए। उनके जीवनसाथी सुगमता से अंग्रेजी बोलने और लिखने में सक्षम होने चाहिए।
  The officers recommended should have a small-sized family. The spouse should be able to speak and write English fluently.
- किसी भी कारण से, विदेश में प्रतिनियुक्ति के कार्यकाल बढ़ाने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

  No request for extension of the tenure of deputation abroad, for any reason whatsoever, will be entertained.
- नामांकित अधिकारियों के पास मूल कार्य करने की पर्याप्त उच्च क्षमता होनी चाहिए।
   The officers nominated should possess substantially high capacity to do original work.
- वे अधिकारी जिनकी तैनाती विदेश (भूटान सिहत) में या तो हमारे कार्यालयों में या अन्य कार्यालयों में हुई है और प्रतिनियुक्त / विभाग से बाहर सेवा दे रहे अधिकारियों को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है । इस शर्त से कोई छूट नहीं दी जाएगी ।

The officers who have had a posting abroad (including Bhutan) either in our offices or in other offices, officers on deputation/Foreign Service outside the Department need not apply. No exemption from this condition will be granted.

• अनुसूचित जाती / अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिकारियों को इस संबंध में जारी भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार उपरोक्त कार्यभार हेतु आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
Officers of SC/ST category are encouraged to apply for the above assignment as per the GoI instructions issued in this regard.

अधिकारियों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ यह वचन देना होगा कि लंदन, वाशिंगटन या कालालंपुर लेखापरीक्षा कार्यालय में नियुक्ति के लिए चयन होने की स्थिति में वे अगले 5 वर्षों के लिए अपनी पदोन्नति छोड़ने के लिए तैयार हैं। अंतिम तिथि, यानी 06.02.2025 के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

Officers must give undertaking that they are willing to forgo their promotion for the next 5 years in case of selection for posting to London, Washington or Kuala Lumpur Audit Office along with the required documents. Applications received after the closing date, i.e, 06.02.2025 will not be considered.

(महालेखाकार के दिनांक 03.02.2025 के आदेशानुसार) (Vide orders dated 03.02.2025 of the Accountant General.)

> व. लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशा. Sr. Audit Officer/Admn.

To

1. सूचना पट्ट /Notice Board

- 2. व.ले.प.अ./प्रशा. (ले.प- II)/ व.ले.प.अ./का.स्था., शा. कोच्चि / Sr.AO/Admn. (Audit-II)/ Sr. AO, OE/Br. Kochi
- 3. सभी समूह अधिकारियों के वरि. निजी सचिव/ निजी सहायक Sr.PS/PS/PA to all Group Officers.
- 4. आई टी एस कक्ष (वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)/ ITS Cell (for uploading in website)
- 5. सभी संबंधित अनुभाग (लेखापरीक्षा । & ॥)आरएओं सहित /All Sections concerned. (Audit । &॥) including RAOs.
- 6. सभी शाखा कार्यालय /Branch Offices

दूरभाष / Telephone :0471 - 2330799

ई-मेल / e-mail : agaukeralal@cag.gov.in वेबसाइट / Website : https://cag.gov.in/ag1/kerala/en

फैक्स / Fax - 0471-2331326